# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

*पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)*

**प्रकरण संख्या : – डिक्री 47 सन् 2014**

**पंजीयन दिनांक :– 24.06.2014**

नाथु पिता मानजी जाति मीणा निवासी पांच इमली तहसील व जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट

**विरूद्ध**

1. जिलाधीश प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
प्रकरण संख्या 368/2007 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.06.2014

उपस्थित :– 1. पीयुष मोहन सोमानी – अधिवक्ता अपीलान्ट/वादी
2. पूरणमल स्वर्णकार – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

**निर्णय** **दिनांक :– 10.02.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनयम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी के पिता का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट वादी अपने पिता का इकलौता विधिक वारिस है। अपीलान्ट वादी के पिता को पूर्व मे आंवटन मिसल नम्बर 5559/1964 से मोजा सालमगढ तहसील प्रतापगढ की साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा आंवटित की गई। आंवटन आदेश की पालना मे अपीलान्ट वादी के पिता आवंटी को मौके पर कब्जा दिया गया। तत्कालीन पटवारी हल्का को उक्त भूमि अपीलान्ट वादी के पिता मानजी पिता होमजी मीणा आंवटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज किये जाने का आदेश दिनांकः– 01.06.1967 को पारित किया गया। अपीलान्ट वादी के पिता मानजी आंवटित भूमि पर आंवटन दिनांक से लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कृषि आराजीयात मे आवासीय मकानात बने हुए है जिसमे अपीलान्ट वादी का परिवार निवास करते हुए काश्त ऊपज से अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते चले आ रहे है। अपीलान्ट वादी के पिता मानजी को आंवटित की गयी साबिक आराजी नम्बर 1 के नवीन आराजी नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 61 रकबा 0.42 हेक्टेयर मे से 0.11 हैक्टेयर जो अपीलान्ट वादी के पिता को आंवटनशुदा रही। भू-प्रबन्ध के दौरान उक्त कृषि आराजीयात को अपीलान्ट वादी के पिता मानजी के नाम खाते मे दर्ज नही करते हुए बिलानाम सरकार दर्ज कर दी जिसका तत्कालीन भू-प्रबन्ध अधिकारियो को कोई हक व अधिकार नही था। अभी कुछ वर्षो पूर्व उक्त बिलानाम आराजी नम्बर 60 व 61 को बिना अपीलान्ट वादी को सुने नियम विरूद्ध तरीके से काबिल काश्त भूमि को चरागाह दर्ज कर दी जो घोर अनियमितता एवं त्रुटि रही है। अपीलान्ट वादी कृषि आराजीयात पर आंवटन दिनांक से लेकर आज तक निर्विघ्न रूप से काबिज हो बहैसियत खातेदार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलान्ट वादी उक्त कृषि आराजीयात को अपने खातेदारी मे घोषित कराये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी है।

अपीलान्ट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो उन्हें प्रोपर तामील हुये। पत्रावली वास्ते जवाब दावा नियत की गई। आगामी पेशी दिनांक 24.05.2010 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी अपीलान्ट नियत की गई। अपीलान्ट वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। पत्रावली में बहस सुनी जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को प्रमाणित नही होना मानते हुये निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय मे दिनांक 24.06.2014 को प्रथम अपील प्रस्तुत की।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण की ओर से सम्मन नोटिस की पालना मे राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर संलग्न पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील विचाराधीन रहते हुए अपीलान्ट वादी के अधिवक्ता ने आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होकर प्रकरण से सुसंगत है अतः इन्हें पत्रावली पर लिये जावे। राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत दस्तावेज विवादित आराजीयात से सम्बन्धित नही होने से रेकार्ड पर लिये जाने योग्य नही होना बताया। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011-2014, 2016-2019, 2040-2043, 2043-2046, 2047-2050 व 2051-2054, नकल मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2043-2046, 2059-2062, हाल भू-प्रबन्ध का नकल नक्शा, नकल नामान्तकरण संख्या 141, 108 एवं 148 उक्त सभी दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है जिनको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पत्रावली पर लिये जाते है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने मौखिक बहस के साथ लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को दिलाई गई। अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादी की ओर से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अपीलान्ट वादी के पिता को मिसल नम्बर 5559/1964 से मोजा सालमगढ की साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आंवटित की गई। आंवटन आदेश प्रदर्श-1 की पालना मे अपीलान्ट वादी के पिता को मौके पर कब्जा दिया गया। तत्कालीन पटवारी हल्का को उक्त भूमि अपीलान्ट वादी के पिता मानजी पिता होमजी मीणा आंवटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 01.06.1967 को पारित किया गया। आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का अचलपुर द्वारा दिनांक 29.05.1971 को नामान्तकरण प्रदर्श 4 दर्ज कर भू-अभिलेख निरीक्षक से दिनांक 30.05.1971 को नियमानुसार जांच करवाई जिन्होने नामान्तकरण सही होना पाया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट तथा स्वयं द्वारा जारी आवंटन आदेश के विरूद्ध नियमो से परे जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया कि " नगरपालिका क्षैत्र के तीन मील अन्दर का होने से अमल दरामद नहीं किया जावे फिलहाल निरस्त किया जाता है।" निर्णय की भाषा से ही यह सिद्ध हो रहा है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नामान्तकरण फिलहाल के लिए निरस्त किया गया है जो पूरक निर्णय प्रतीत होता है। यह निर्णय निर्णयकर्ता अधिकारी का अन्तिम निर्णय नहीं है जो पूर्ण मनोयोग से किया गया नही है जिसके प्रति निर्णायक स्वयं भी आश्वस्त नही रहे जिससे फिलहाल शब्द का प्रयोग किया गया। अपीलांट वादी के पिता आवंटी को आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1970 के लागू होने से पूर्व आवंटन नियम 1957 के नियमों के अन्तर्गत किया गया। नगरपालिका की तीन मील परिधि सीमा में आवंटी का आवंटन बताते हुये नामान्तरण निरस्त किया गया है जबकि इसी साबिक आराजी नम्बर 1 मे से 8 बीघा कृषि आराजीयात मिसल नम्बर 1058/1977 से दिनांक 18.12.1978 को श्री लक्ष्मण पिता गोतम दमामी को आंवटित हुई जिसे गैर खातेदार दर्ज किया जाकर उसके पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। साबिक आराजी नम्बर 1 मे से 5 बीघा कृषि भूमि कमजी पिता भगवाना मीणा निवासी करमदी खेडा को मिसल नम्बर 953/1976 दिनांक 06.12.1976 को आंवटित की गई जिसे राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इस प्रकार इसके समानान्तर आराजीयात इसी आराजी में से आवंटित होती रही, नामान्तरण स्वीकृत होते रहे एवं खातेदारी अधिकार भी दिये जाते रहे। अपीलांट वादी के पिता को आवंटित कृषि आराजीयात का प्रकरण इनसे भिन्न नही था। प्रतापगढ शहर की आबादी वर्तमान में भी 1 लाख से कम है इस कारण 3 मील की पाबन्दी आज भी लागू नही है। इसी साबिक आराजी नम्बर 1 में हुये आवंटन के आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 141 दिनांक 20.12.1978 को एवं नामान्तरण संख्या 108 दिनांक 22.08.1977 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किये गये। अपीलांट वादी के पिता आवंटी अनपढ आदिवासी अनुसूचित जनजाति के होकर अनुसूचित क्षैत्र के निवासी रहे है। उन्हें नियम कानून एवं राजस्व रेकार्ड का ज्ञान नही था। नामान्तरण प्रदर्श-4 के निरस्त होने की उन्हें जानकारी नहीं थी। मौके पर पटवारी हल्का द्वारा दिये गये आवंटित आराजी के कब्जे को ही अपना स्वत्वाधिकार समझ कर जीवन पर्यन्त आवंटित आराजी पर काबिज रहते हुये काश्त करते रहे तथा आवंटन आदेश एवं उसकी पालना में दिये गये कब्जे को ही मालिकाना हक मानते रहे। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण या उनके अधीनस्थ कार्मिकों ने आवंटी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट वादी के विरूद्ध फौरी तौर पर ही धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत कार्यवाही वर्ष 1983, 1984, 1994 एवं 1997 में की गई व अपीलांट वादी को सुनकर प्रकरण के निस्तारण किये गये। कभी भी मौके पर काबिज आवंटी एवं अपीलांट वादी को भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नही की गई। न ही इस आशय का कोई नोटिस दिया। आवंटन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

तत्समय के आवंटन नियम 1957 के अनुसार पूर्ण रूप से आवंटी का प्रकरण आवंटन योग्य पाये जाने पर ही जारी किया गया। उस समय भारत में हरित क्रांति लागू हुई थी। खाद्यान्न की पूर्ति के लिये अधिक अन्न उपजाओ अभियान के अन्तर्गत भूमिहीन सद्भावी कृषकों को कृषि आराजी आवंटित की गई उसी दौरान अपीलांट वादी के पिता मानजी को भी कृषि आराजी आवंटित हुई। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधानों के विपरीत एवं परे जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने आवंटी को सुनवाई का बिना अवसर प्रदान किये तथा फिलहाल नामान्तरण निरस्त किये जाने के पश्चात आवंटित कृषि आराजी बिना कब्जे राज लिये तथा आवंटन आदेश को बिना चुनौती दिये आवंटन आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही करने का अवैधानिक मनमाना निर्णय पारित किया जो तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य सरकार की मंशा के सर्वथा विपरीत ही नही बल्कि आवंटी के साथ धोखा था। आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1967 प्रदर्श-1 आज भी पूर्ण रूप से प्रभावी है तथा आवंटन यथावत कायम है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण द्वारा विवादित कृषि आराजी के आवंटन से इन्कार नही किया गया और न ही ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया कि उक्त आवंटन को कभी भी किसी भी प्रकार से निरस्त किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की हो। ऐसी स्थिति में अनाधिवासित कृषि आराजी का विधिवत आवंटन आवंटी के पक्ष में कायम है तब उसके आधार पर आवंटी के नाम तथा आवंटी के स्वर्गवास हो जाने पर उनके पुत्र एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी अपीलांट वादी के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है। आवंटी एवं अपीलांट वादी भूमिहीन सद्भावी कृषक है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की है। अपीलांट वादी के रिहायसी मकान भी इसी विवादित कृषि आराजीयात में बने हुए है एवं अपने परिवार का भरण-पोषण का जरिया भी यही कृषि आराजी है।

अपीलांट वादी स्वयं को भी नवीन खसरा नम्बर 60 व 61 से लगते हुये खसरा नम्बर 59 रकबा 0.23 हैक्टेयर का आवंटन मिसल नम्बर 1550/1989 के द्वारा दिनांक 17.07.1989 को किया गया। आवंटन आदेश की पालना में गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर प्रतापगढ के न्यायालय में वाद संख्या 309/2006 धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 04.04.2007 को खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये गये। उक्त आवंटित आराजी विवादित कृषि आराजीयात के लगती हुई होकर मौके पर एकचक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्ष 2004 मे मौके व रेकार्ड की स्थिति को नजरअन्दाज कर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने उक्त बिलानाम आराजी नम्बर 60 व 61 को बिना अपीलान्ट वादी को सुने नियम विरूद्ध तरीके से काबिल काश्त आराजी को चरागाह हेतु अन्य बिलानाम आराजीयात के साथ आरक्षित (सेट अपार्ट) दर्ज कर दिया जो घोर अनियमितता एवं त्रुटि रही है। आवंटी को हुये आवंटन के मुकाबले उक्त कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य होकर प्रभावहीन है। आवंटी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट वादी आंवटित कृषि आराजी पर आंवटन से लेकर आज तक निर्विघ्न रूप से काबिज हो बहैसियत खातेदार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसकी पुष्टि इस न्यायालय मे तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.03.2022 के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 02.03.2022 से होती है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर पर अपीलान्ट वादी का लगभग 70 वर्षो पुराना कब्जा है। खसरा नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे से 0.35 हैक्टेयर भूमि सडक सीमा मे जा रही है तथा शेष 0.07 हेक्टेयर पर आवंटी व उनके पुत्र अपीलान्ट वादी के मकान बने होकर कब्जा अपीलान्ट वादी का है। उपरोक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे अपीलान्ट वादी मौके पर कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011-2014, 2016-2019, 2040-2043, 2043-2046, 2047-2050 व 2051-2054 में विवादित कृषि आराजीयात में फसल काश्त होना अंकित है। हाल भू-प्रबन्ध की नकल मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 60 व 61 गत भू-प्रबन्ध के आराजी नम्बर 1 मीन से ही बनना दर्ज है। विचारण न्यायालय मे वादपत्र को अपीलान्ट वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर पूर्णतया प्रमाणित करवाया व उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जुर्माने की रसीदे प्रस्तुत की व मौखिक साक्ष्य के रूप में अपीलांट वादी ने स्वयं के बयान दर्ज करवाये, दस्तावेज प्रदर्श करवाये तथा ग्वाह रामप्रसाद पिता लाला मीणा के बयान दर्ज करवाये जो कि विवादित कृषि आराजीयात का पड़ौसी काश्तकार है। उक्त बयानों का रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का जवाब व खण्डन नही किया गया है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 मे अपीलान्ट वादी का उक्त कृषि आराजी पर कब्जा होना नही मानते हुए, अंकित किया कि ''उक्त आराजी प्रतापगढ शहर के नजदीक धरियावद रोड़ पर स्थित है। मौके पर आराजी नम्बर 61 पर प्रतापगढ-धरियावद रोड़ बनी हुई है। वादी की मंशा सरकारी भूमि पर कब्जे की प्रतीत होती है।'' आवंटी के विधिक वारिस भूमिहीन सद्भावी कृषक जिसने अपना वादपत्र तथा अपना निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा निर्विवाद रूपसे पूर्णतया प्रमाणित

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

करवा दिया था, के विरूद्ध उक्त प्रकार की टिप्पणी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की गरिमा के अनुरूप नही है। अपीलांट वादी के वादपत्र को अवैधानिक रूप से पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों से परे जाकर मनमाने ढंग से विश्लेषण करते हुये निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात वक्त वादपत्र प्रस्तुति चरागाह भूमि दर्ज रेकार्ड रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मे आती है जिसमे खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। वर्ष 1971 मे ही अपीलान्ट वादी के पिता आंवटी को आंवटन आदेश की पालना मे दर्ज नामान्तरण प्रदर्श-4 निरस्त किया जा चुका था जिसके विरूद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय मे नही की गई उसके पश्चात काफी विलम्ब से वर्ष 2007 मे वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो चलने योग्य नही था। अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2059-2062, नकल नामान्तकरण सं. 92, नकल जमाबन्दी वर्तमान व जुर्माने की रसीदे व धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नोटिस वादपत्र मे प्रस्तुत किये साथ ही अपीलान्ट वादी स्वयं व ग्वाह रामप्रसाद मीणा के मौखिक बयान कराये गये जिससे अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए व आंवटित आराजीयात पर अपीलान्ट वादी व उसके पिता मानजी पिता होमजी मीणा आंवटी का कब्जा प्रमाणित नही होना मानते हुए वादपत्र को निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। मोजा सालमगढ की साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जो राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन) नियम, 1957 के अन्तर्गत मिसल क्रमांक आंवटन 5559/1964 दिनांक 01.06.1967 प्रदर्श-1 से आवंटी अपीलांट वादी के पिता मानजी पिता होमजी मीणा के नाम आवंटित की गई। आंवटन आदेश प्रदर्श-1 की पालना मे अपीलान्ट वादी के पिता को मौके पर कब्जा दिया गया। आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का अचलपुर द्वारा दिनांक 29.05.1971 को नामान्तकरण प्रदर्श-4 दर्ज कर भू-अभिलेख निरीक्षक से दिनांक 30.05.1971 को नियमानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जांच करवाई गई। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने निर्णय में अंकित किया कि " नगरपालिका क्षैत्र के तीन मील अन्दर का होने से अमल दरामद नहीं किया जावे फिलहाल निरस्त किया जाता है।" नामान्तकरण फिलहाल के लिए निरस्त किया गया है जो पूरक निर्णय प्रतीत होता है। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार आवंटी को सुनवाई का बिना अवसर प्रदान किये। नामान्तरण निरस्त किया गया। आवंटित कृषि आराजी बिना कब्जे राज लिये तथा आवंटन आदेश को बिना चुनौती दिये आवंटन आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नही करने का अवैधानिक निर्णय अंकित किया नगरपालिका की तीन मील परिधि सीमा में आवंटी का आवंटन बताते हुये नामान्तरण निरस्त किया गया है जबकि इसी साबिक आराजी नम्बर 1 मे से 8 बीघा कृषि आराजी मिसल नम्बर 1058/1977 से दिनांक 18.12.1978 को श्री लक्ष्मण पिता गोतम दमामी को आंवटित हुई जिसे गैर खातेदार दर्ज किया जाकर उसके पश्चात खातेदारी अधिकार दिये गये। साबिक आराजी नम्बर 1 मे से 5 बीघा कृषि भूमि कमजी पिता भगवाना मीणा निवासी करमदी खेडा को मिसल नम्बर 953/1976 दिनांक 06.12.1976 को आंवटित की गई जिसे राजस्व रेकार्ड मे गैर खातेदारी हक से दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दिये गये। इस प्रकार इसके समानान्तर आराजी आवंटित होती रही, नामान्तरण स्वीकृत होते रहे एवं खातेदारी अधिकार भी दिये जाते रहे। अपीलांट वादी के पिता को आवंटित कृषि आराजी का प्रकरण इनसे भिन्न नही था। इसी साबिक आराजी नम्बर 1 में हुये आवंटन के आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 141 दिनांक 20.12.1978 को एवं नामान्तरण संख्या 108 दिनांक 22.08.1977 को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किये गये। आवंटन आदेश की पालना में गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया गया। अपीलांट वादी स्वयं को भी नवीन खसरा नम्बर 60 व 61 से लगते हुये खसरा नम्बर 59 रकबा 0.23 हैक्टेयर का आवंटन किया गया जिसकी पुष्टि प्रदर्श-3 से होती है। अपीलांट वादी के पिता आवंटी अनपढ आदिवासी होने से मौके पर पटवारी हल्का द्वारा दिये गये आवंटित आराजी के कब्जे को ही अपना स्वत्वाधिकार समझ कर दिये गये कब्जे को ही मालिकाना हक मानते रहे। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण एवं उनके अधीनस्थ कार्मिकों ने आवंटी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट वादी के विरूद्ध फौरी तौर पर ही धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अर्न्तगत कार्यवाही की गई व अपीलांट वादी को सुनकर प्रकरण के निस्तारण किये गये। कभी भी मौके पर काबिज आवंटी एवं अपीलांट वादी को भौतिक रूप से बेदखल करने की कोई कार्यवाही नही की। न ही इस आराजी को खाली करने का कोई नोटिस दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1967 प्रदर्श-1 आज भी पूर्ण रूप से प्रभावी है तथा आवंटन यथावत कायम है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण द्वारा विवादित कृषि आराजी के आवंटन से इन्कार नही किया गया और न ही ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया कि उक्त आवंटन को कभी भी किसी भी प्रकार से निरस्त किया गया हो अथवा आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नही की हो। ऐसी स्थिति में अनाधिवासित कृषि आराजी का विधिवत आवंटन आवंटी के पक्ष में कायम है। आवंटी एवं अपीलांट वादी भूमिहीन सद्भावी कृषक है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पूर्ण रूप से पालना की है। अपीलांट वादी के रिहायसी मकान भी इसी विवादित कृषि आराजी में बने है एवं अपने परिवार का भरण-पोषण का जरिया भी यही कृषि आराजीयात है। आंवटनशुदा आराजी को वर्ष 2004 में बिना मौके व आवंटन आदेश का अवलोकन किये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने नियम विरुद्ध तरीके से काबिल काश्त भूमि को चरागाह हेतु अन्य बिलानाम आराजीयात के साथ आरक्षित (सेट अपार्ट) दर्ज कर दिया उक्त कार्यवाही आवंटन आदेश के मुकाबले शून्य प्रभावी रहती है एवं आवंटी को जारी विधिक आवंटन आदेश के पश्चात आवंटित कृषि आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रेकार्ड में की गई सभी प्रविष्टियां आवंटन आदेश के मुकाबले प्रारम्भ से ही प्रभावशून्य है। आवंटी एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट वादी आंवटित कृषि भूमि पर आंवटन से लेकर आज तक निर्विघ्न रूप से काबिज हो बहैसियत खातेदार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसकी पुष्टि इस न्यायालय मे तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र दिनांक 21.03.2022 के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 02.03.2022 से होती है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर पर अपीलान्ट वादी का लगभग 70 वर्षो पुराना कब्जा है। खसरा नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे से 0.35 हैक्टेयर भूमि सडक सीमा मे जा रही है तथा शेष 0.07 हेक्टेयर पर अपीलान्ट वादी एवं उनके पुत्र के मकान बने होकर कब्जा अपीलांट वादी का है। उपर्युक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे अपीलान्ट वादी मौके पर कुल 0.85 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011-2014, 2016-2019, 2040-2043, 2043-2046, 2047-2050 व 2051-2054 में विवादित कृषि आराजीयात में फसल काश्त होना अंकित है। हाल भू-प्रबन्ध की नकल मिलान क्षैत्रफल अनुसार नवीन आराजी नम्बर 60 व 61 गत भू-प्रबन्ध के आराजी नम्बर 1 मीन से ही बनना दर्ज है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत जुर्माने की रसीदे प्रस्तुत की व मौखिक साक्ष्य के रूप में अपीलांट वादी ने स्वयं के बयान दर्ज करवाये, दस्तावेज प्रदर्श करवाये तथा स्वतंत्र ग्वाह रामप्रसाद पिता लाला मीणा के बयान दर्ज करवाये जो कि विवादित कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजीयात का पड़ौसी खातेदार है एवं उन्हे भी तत्समय ही कृषि आराजी आवंटित हुई थी जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। उक्त बयानों का रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का जवाब व खण्डन नही किया गया है। अपीलांट वादी ने अपने वादपत्र में अपना निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा निर्विवाद रूपसे पूर्णतया प्रमाणित करवाया है, अपीलांट वादी के वादपत्र को अवैधानिक रूप से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्यों से परे जाकर मनमाने ढंग से विश्लेषण करते हुये निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्ट वादी ने साक्ष्य मे स्वयं के व स्वतन्त्र गवाह रामप्रसाद मीणा के बयान करवाये गये। बयानों में उक्त कृषि आराजीयात पर आंवटन दिनांक से अपीलान्ट वादी के पिता मानजी मीणा व मानजी मीणा की मृत्यु पश्चात् अपीलान्ट वादी का निरन्तर कब्जा होना बताया। अपीलान्ट वादी का आवासीय मकानात बना होना व सपरिवार निवास करते हुए उक्त आंवटित कृषि आराजीयात पर काश्त करना बताया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह मानते हुए कि पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो से सन् 1967 से निर्णय दिनांक तक अपीलान्ट वादी का वादपत्र मे वर्णित आंवटित कृषि आराजी पर सतत् कब्जा नही होना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री किये है, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अपीलान्ट वादी ने आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श-2, नकल नामान्तकरण संख्या 92 प्रदर्श-4, नकल जमाबंदी संवत् 2059-2062 की खाता संख्या 104 प्रदर्श-3, अपीलांट आवंटी को जारी धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस प्रदर्श-12 व 13, पेनल्टी जमा राशि की रसीदे प्रदर्श-9 से 11 प्रस्तुत किये तथा इस न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की, जिससे जाहिर होता है कि आवंटी मानजी पिता होमजी मीणा निवासी करमदीखेडा के नाम साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा गैर खातेदारी हक से आवंटित हुई है उक्त आंवटित कृषि आराजी के नवीन भू-माप में खसरा नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर बनना नकल मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित है। तहसीलदार प्रतापगढ़ के पत्र दिनांक 21.03.2022 के साथ प्रस्तुत मौका पर्चा दिनांक 02.03.2022 अनुसार खसरा नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर पर तथा खसरा नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे से 0.35 हैक्टेयर भूमि सडक सीमा मे जा रही है तथा शेष 0.07 हेक्टेयर पर अपीलान्ट वादी एवं उनके पुत्र के रिहायसी मकान बने होकर उनका 70 वर्षो पुराना कब्जा है। उपर्युक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे अपीलान्ट वादी मौके पर कुल 0.85 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट वादी का कब्जा अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

विद्वान विचारण न्यायालय एवं इस न्यायालय मे प्रमाणित करवाया है, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए निरस्त किये जाने के निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 368/2007 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1967 के पश्चात आवंटित आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियां प्रभाव शून्य होकर मोजा सालमगढ तहसील प्रतापगढ की साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं नवीन आराजी नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे से 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर अपीलान्ट वादी के खातेदारी की घोषित की जाती है। तहसीलदार प्रतापगढ के मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी** :- श्री हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

अपील सं.:- 47/2014/ डिक्री

नाथु पिता मानजी जाति मीणा निवासी पांच इमली तहसील व जिला प्रतापगढ़

-अपीलांट

बनाम

1. जिलाधीश प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
2. तहसीलदार प्रतापगढ़ तहसील व जिला प्रतापगढ़

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ दिनांक 02.06.2014 प्रकरण संख्या 368/2007 अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थातः यह अपील दिनांक 10.02.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता पीयुष मोहन सोमानी, रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 368/2007 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2014 निरस्त किये जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1967 के पश्चात आवंटित आराजीयात के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में की गई समस्त प्रविष्टियां प्रभाव शून्य होकर मोजा सालमगढ तहसील प्रतापगढ की साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 60 रकबा 0.78 हैक्टेयर सम्पूर्ण एवं नवीन आराजी नम्बर 61 रकबा 0.42 हैक्टेयर मे से 0.07 हैक्टेयर कुल रकबा 0.85 हैक्टेयर अपीलान्ट वादी के खातेदारी की घोषित की जाती है। तहसीलदार प्रतापगढ के मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2022 अनुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये जाते है।

इस अपील के खर्चे, पक्षकारान अपने-अपने वहन करे।

यह आज दिनांक 10.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

दिनांकः- 10.02.2023

अपील खर्चेः

| पुनरावेदक | रूपये | प्रत्यर्थी | रूपये |
|---|---|---|---|
| 1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प | | 1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2. अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. आदेशिकाओं की तामील | | 3. आदेशिकाओं की तामील | |
| 4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस | | 4. ..... रू. पर प्लीडर की फीस | |
| योग | | योग | |